


279 (403)

ना। अग्र/सत्ना/ २०१७/४०८० / २९८३

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मोप्र० ग्वालियर कैम्प रीवा मोप्र०

निगरानी प्रकरण क्र० ..... / 16-17



M  
30/-

1— श्रीमती इंद्रनिया पत्नी स्व० अर्जुन दाहिया

2— संजय दाहिया पिता स्व० अर्जुन दाहिया

3— अजय दाहिया पिता स्व० अर्जुन दाहिया

4— कमलेश दाहिया पिता स्व० अर्जुन दाहिया

5— शैलेन्द्र दाहिया पिता स्व० अर्जुन दाहिया, सभी निवासी ग्राम कृपालपुर

तहसील रघुराजनगर जिला सतना मोप्र० ————— निगराकारगण

बनाम

रामलाल शर्मा तनय श्यामसुंदर शर्मा निवासी ग्राम कृपालपुर तहसील रघुराजनगर

जिला सतना मोप्र० ————— गैर निगराकार

निगरानी विरुद्ध कार्यालय राजस्व निरीक्षक

वृत्त सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना

के राजस्व प्र०क्र० —५९अ१२ / १६-१७ में पारित

सीमांकन पुष्टिकरण आदेश दिनांक 31.03.2017

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मोप्र०भ०रा०सं०

मान्यवर,

### निगरानी के संक्षिप्त तथ्य—

संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि गैर निगराकार ने मौजा कृपालपुर तहसील रघुराजनगर में स्थित आराजी नं० ८०१ रकवा ०.०६ डिं आबादी

संजय दाहिया

अ०४४

कमलेश

अ०५५५

-2-

279

## राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

### अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक.....तीत/गिरा/सतना/17/29.83.....जिला.....सतना.....

.....जी.मरी इमानिया दाहिया बोर्ड.....विरुद्ध.....रामलाल शर्मा व अर्थ.....

1	2	3
17-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री.....शेखन दाहिया..... अधिवक्ता द्वारा        यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त सतना तहसील रायगढ़ के        प्रकरण क्रमांक 59/37/2/16/12..... में पारित        आदेश दिनांक 31.3.17..... के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी        है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये        संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50        सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण        कलेक्टर.....सतना..... के न्यायालय को अंतरित किया        जाता है। उभयपक्ष दिनांक 5-3-19..... को        कलेक्टर.....सतना..... के न्यायालय में सुनवाई हेतु        उपस्थित हो।</p>	

सदस्य